

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास अनुभाग-4

संख्या : 440 /52-4-2003-1(3)/96

लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2003 ।

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 1994 ) की धारा-2 के खण्ड-घ के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल एतद्वारा अधिनियम की प्रयोजनी के लिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करते हैं।

( श्री आशा सिंह )  
 ( श्री 0 इफतेखासुद्दीन )  
 सचिव

440 (1)/52-4-2003-1(3)/96

प्रतिलिपि अधिसूचना को अंग्रेजी रूपांतर की प्रति सहित संयुक्त निदेशक राजकीय प्रशासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसे असाधारण गजट दिनांक 29 मार्च 2003 को विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 800 प्रतियां तैयार कर तत्काल उपलब्ध कार्यालयों को वांट करे।